कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (सीपीसी) की बैठक सं० 62/2000 दिनांक 22-7-2000 को सायं 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक, (सहकारिता) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारियों ने भी भाग लिया -

1- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री वासूदेव शर्मा, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक, (सहकारिता) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक (सहकारिता) जविप्रा, जयपुर

---

(1) एजेण्डा आईटम्स -

1·1- एजेण्डा सं० 62/2000- 1 :- पदमावती -I एवं उदय नगर - ए के भूखण्ड जो कि 33 के·वी· की लाईन हीरापुरा ग्रिड से प्रभावित है के संदर्भ में (जोन बी-1) :-

उपायुक्त, बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । चम्बल ग्रिड से हीरापुरा ग्रिड तक 33 के·वी· की विद्युत की लाईन जा रही थी और पूर्व में ये लाईन काम आती थी । इसलिए पदमावती -1 योजना के भूखण्ड सं० 108, 109, 124, 125, 139, 154, 176, 177, 194, 195, 215, 232, 255, 256, 268, 269, 285, 286, 287, 288 कुल 20 भूखण्ड एवं उदय नगर ए योजना के भूखण्ड सं० 41, 42, 62, 63 कुल 4 भूखण्ड अनुमोदित नहीं किये गये थे । अब मौके पर यह 33 के·वी· की विद्युत लाईन काम नहीं आ रही है एवं विद्युत विभाग के पत्र सं० RSEB/CDME/C/SEC ES/104 दिनांक 23-10-99 · दिनांक . . . . एवं दिनांक 12·10·99 · · · RSEB/XEn/CDVI/SEC/F/D/863 में इसको हटाने का

•••2

186

प्रस्ताव ~~विचाराधीन~~ है । अत: वाद विचार-विमर्श उपरोक्त वर्णित भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय की सूचना RSEB को भी दे दी जाये।

1·2- एजेण्डा सं0 62/2000-2 :- नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गायत्री नगर -ए (जोन बी-1):-

उपायुक्त बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । उपायुक्त, बी-1 ने निम्नानुसार भूखण्डों की स्थिति प्रस्तुत की -

क्र0सं0	अनुमोदित योजना के अनुसार भू·सं0	मौके पर कब्जे के अनुसार भू· सं0
1·	166	169
2·	167	166
3·	168	167
4·	169	168

भूखण्डों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अत: वाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि अनुमोदित योजना के नम्बर नहीं बदले जायेंगे ~~एवं~~ परन्तु मौके पर कब्जे के अनुसार आवंटन/ नियमन की कार्यवाही की जायेगी ।

1·3- एजेण्डा सं0 62/2000- 3 :- बृजलालपुरा योजना कृष्णापुरी गृ·नि· स·समिति एवं संतोष नगर योजना अपोलो नगर गृ·नि·स·समिति की योजना के ~~बढ़े~~/हुए बाढ़ से प्रभावित भूखण्डों के संबंध में(जोन बी-1):-

उपायुक्त, बी-1 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं उपायुक्त, बी-1, जोनल अभियंता, बी-1 एवं सहायक नगर नियोजक, बी-1 द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि कृष्णापुरी गृ·नि·स· समिति की योजना बृजलालपुरा का भूखण्ड सं0 29 एवं अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संतोष नगर के भूखण्ड सं0 19 से 37 अब बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित नहीं है अत: रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूखण्डों को अनुमोदित करने, सड़क से लगते भूखण्डों में से 5 फिट/ की पट्टी/4 काट ली जावे। का निर्णय लिया गया ।

1·4- एजेण्डा सं0 62/2000- 4 :- भूखण्ड सं0 273, मुक्तानन्द नगर योजना नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति (जोन बी-1) :-

बीपीसी-11(सीपीसी) की बैठक सं0 50/95 दिनांक 22-4-95 एवं

187

माननीय न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण प्रकरण को स्थगित किया गया ।

1.5- एजेण्डा सं0 62/2000-5 :- भूखण्ड सं0 95 बी एवं 66 ए योजना हीरा नगर अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति (बी-2) :-

पूर्व में भूखण्ड सं0 95 बी एवं 66 ए को निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया था । प्रकरण में उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौका रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया एवं बाद विचार-विमर्श [भू0 सं0 66, 66A, 95A एवं 95B] रो-हाऊसिंग मानते हुए अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आगे एवं पीछे के सैट बैकस नियमानुसार रखे जायेंगे ।

1.6- एजेण्डा सं0 62/2000-6 :- वसुन्धरा कालोनी ,भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति (जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया एवं बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 25 से 40 की तरह एक जैसी स्थिति होने के कारण भूखण्ड सं0 9 से 24 को भी कन्वीनियेन्ट शोपिंग के रूप में अनुमोदित किया गया ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

[signature]
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
(कापरेटिव)

क्रमांक: 36
दिनांक : 04-8-2000.
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक (आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा,जयपुर ।
4- अति॰ आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1 एवं बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
6- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

[signature]
सदस्य सचिव
बीपीसी-II (सीपीसी)(कापरेटिव)